

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम मुख्यालय, जयपुर

क्रमांक: एफ4/मु./वित्त/RGHS/2023/298

दिनांक:- 19.01.2023

कार्यालय-आदेश

राज्य सरकार द्वारा लागू राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (RGHS) निगम संचालक मण्डल के निर्णय संख्या 66/2022 के अनुसरण में निगम के सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी के लिये कार्यालय आदेश क्रमांक 05/03.01.23 के द्वारा लागू करने का निर्णय लिया गया है।

इस संबंध में निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किये जाते हैं:-

1. इस योजना के अन्तर्गत लाभ लेने के इच्छुक सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी को निम्न प्रारूप में सूचना के साथ आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा:-

S.NO	SSO ID	NAME	Date of Birth	Date of Rtd.	Desi.	Basic pay at Rtd.	Mob. No.	Statement of Dependents
------	--------	------	---------------	--------------	-------	-------------------	----------	-------------------------

2. Email id **rgsex.rsrtc@gmail.com** पर प्रार्थना पत्र एवं उक्त सूचना excel sheet में भिजवानी होगी।
3. इसके पश्चात निगम द्वारा Raj ERP Id एवं Employee Id आवंटित की जावेगी। जिसकी सूचना मेल द्वारा संबंधित सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी को दी जावेगी।
4. इसके पश्चात सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी द्वारा स्वयं के स्तर से RGHS कार्ड बनवाया जा कर RGHS कार्ड, आधार कार्ड एवं निगम के परिचय पत्र की छाया प्रति एवं निर्धारित प्रीमियम राशि निगम में जमा करवानी होगी।
5. वर्तमान में निर्धारित प्रीमियम राशि 1,05,000 रु. निगम के खाते में सीधे ही जमा करानी होगी। जिसका बैंक विवरण निम्न है:-
Bank Name:- **STATE BANK OF INDIA**
A/c No. :- **00000061149677977**
IFSC Code:- **SBIN0031510**
Branch Name:- **TILAK MARG, JAIPUR**
6. वित्तीय वर्ष 2023-24 से इस योजना का लाभ लेने के इच्छुक सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी को उक्त कार्यवाही दिनांक 10.03.2023 तक पूर्ण करनी होगी।
7. सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी को उक्त दस्तावेज एवं सूचना RGHS शाखा, मुख्यालय जयपुर को भिजवानी होगी।



(नथमल डिडेल)


प्रबंध निदेशक

क्रमांक: एफ4/मु./वित्त/RGHS/2023/298

दिनांक:- 19.01.2023

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक महोदय, मुख्यालय जयपुर।
2. निजी सचिव, वित्तीय सलाहकार महोदय, मुख्यालय जयपुर।
3. कार्यकारी निदेशक (प्रशासन/यातायात/विधि) मुख्यालय जयपुर।
4. समस्त महा प्रबंधक/उप महा प्रबंधकमुख्यालय जयपुर।
5. समस्त मुख्य प्रबंधक/ मुख्य उत्पादन प्रबंधक को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि नोटिस बोर्ड पर चिपकाया जाना सुनिश्चित करावें।
6. आदेश पत्रावली।


वित्तीय सलाहकार